सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना–पत्र संख्याः– 2023/221 दर्ज तिथिः–20.07.2023

1. पोकराराम पुत्र मगाराम
2. गोरखाराम पुत्र चुतराराम
3. खेमाराम पुत्र लालाराम
4. भोमाराम पुत्र हरचंदराम
5. तगाराम पुत्र मोडाराम
6. अचलाराम पुत्र गोमाराम
7. अर्जुनराम पुत्र तिलोकराम
8. पुरखाराम पुत्र अमराराम

समस्त व्यस्क निवासी नोखडा तहसील नोखडा जिला बाडमेर

बनाम

1. तहसीलदार नोखडा
2. ग्राम पंचायत नोखडा बजरिये सरपंच

अप्रार्थी

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः–श्री रामजीवन विश्नोई
श्री रोशनलाल चौधरी
अप्रार्थीगणः– एकतरफा

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–131,136
राजस्थान भू–राजस्व अधि.–1956

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–16.01.2025

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–131, 136 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि
   - कि प्रार्थीगण का पट्टाशुदा भूखण्ड खसरा संख्या 413/5/0.8175 है0 मौजा नोखड़ा तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर में अवस्थित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.02.26 16:20:59 IST
Reason: SelfAttested

- कि प्रार्थीगण की उक्त आराजी मालपुरा फांटा से आडेल सड़क से ग्राम नोखड़ा में जाने वाली लिंक सड़क खसरा संख्या 413/4/0.4047 है0 किस्म गै0मु0 सड़क पर पूर्व दिशा में स्थित खसरा संख्या 413/5 में पट्टे जारी किये गये। जिस पर प्रार्थीगण काबिज होकर निवासरत हैं तथा उक्त आराजी पर प्रार्थीगण के अलामात बने हुए हैं।
- कि राजस्व कार्मिकों द्वारा चलायमान सड़क के खसरा संख्या 413/4 की तरमीम सड़क के स्थान पर नहीं कर प्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 413/5 पर कर गलत कर दी तथा मूल खसरा संख्या 413 की तरफ रकबा ज्यादा छोड़ दिया।
- कि नामांतरकरण संख्या 403 के मार्फत खसरा संख्या 413/4 गै0मु0 सड़क का नामांतरकरण स्वीकृत किया जाकर रकबा 2.10 बीघा गै0मु0 सड़क की तरमीम की गई। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड अनुसार मूल खसरा संख्या 413 के अनुसार 8.10 बीघा का है परंतु मौके पर खसरा संख्या 413/4 की तरमीम सड़क की तरमीम इस खसरे के रकबे से आगे ज्यादा रकबा छोड़ते हुए कर दी गई। जहां प्रार्थीगण का खसरा संख्या 413/5 में पट्टे जारी किये गये हैं। इस प्रकार खसरा संख्या 413/4 रकबा 02.10 बीघा की तरमीम करते वक्त मौके पर प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार नहीं कर गलत तरमीम की गई है। जिससे मौके व रिकॉर्ड में भिन्नता आ गई है।

2. असल में प्रार्थी व अप्रार्थीगण की आराजी की तरमीम परिशिष्ट—अ के अनुसार होनी अपेक्षित है। अतः प्रार्थीगण के खसरा संख्या 413/5 की तरमीम एवं गै0मु0 सड़क खसरा संख्या 413/4 की ऑनलाइन तरमीम मौके पर कब्जे के अनुसार की जावे। अतः प्रार्थी व अप्रार्थीगण की आराजी की तरमीम परिशिष्ट—अ के आधार दुरूस्त कर रिकॉर्ड दुरूस्ती कर प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

3. प्रकरण में तहसीलदार गुडामालानी से मौका रिपोर्ट तलब की गई। प्रकरण में बहस सुनी गई। दौरान—ए—बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थी की आराजी की तरमीम परिशिष्ट—अ के आधार दुरूस्त कर रिकॉर्ड दुरूस्ती कर प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में बहस पर मनन किया गया।

5. प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी आराजी की तरमीम को दुरूस्त करवाने हेतु परिशिष्ट—अ प्रस्तुत किया है। प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड व प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित तरमीम के परिशिष्ट—अ का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार हैः—

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.02.26 16:20:59 IST
Reason: SelfAttested

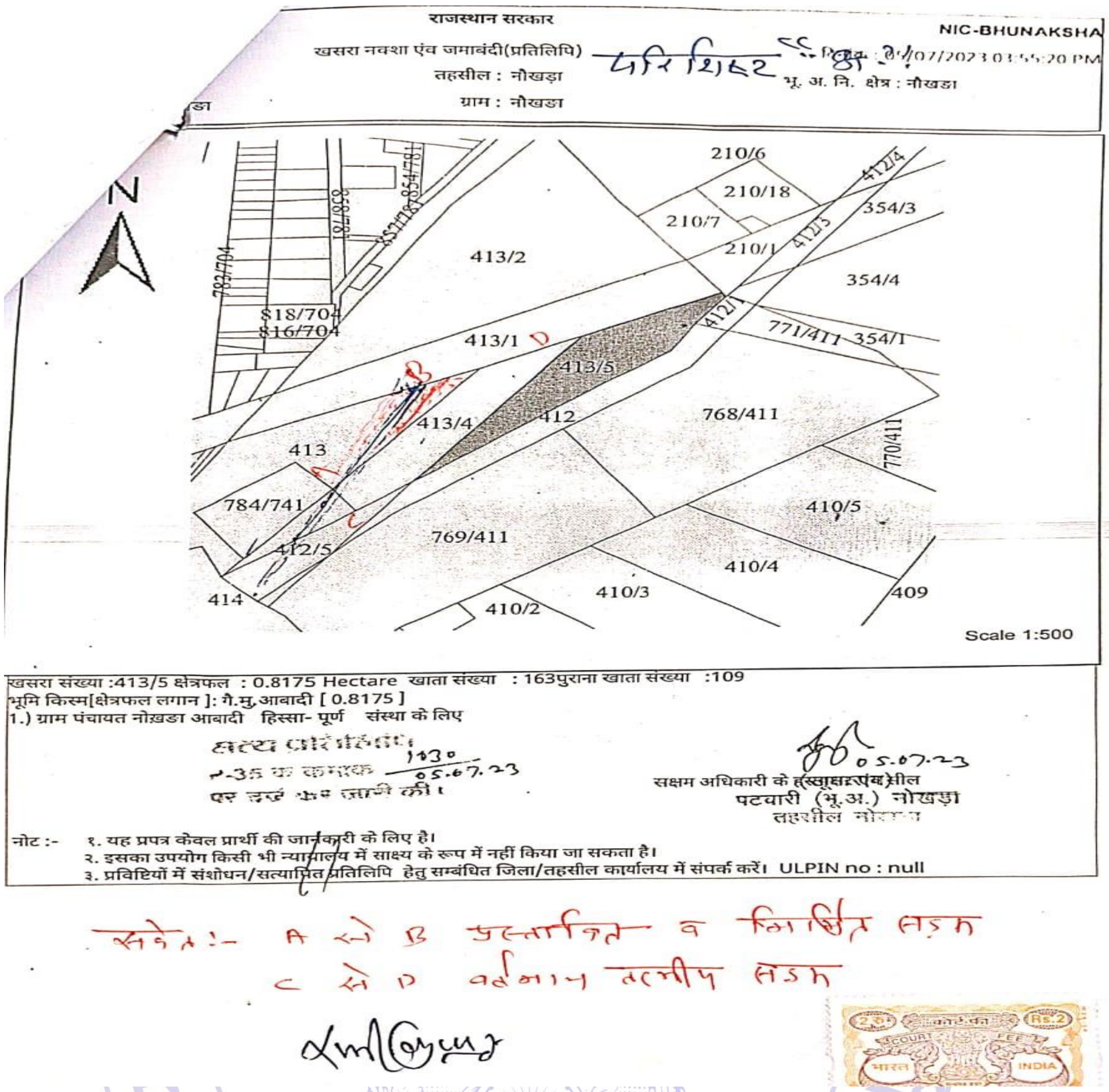

6. हाल राजस्व रिकॉर्ड व प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित तरमीम के परिशिष्ट—अ के परीक्षण के पश्चात तहसीलदार नोखड़ा के पत्रांक / भू.अ. / 2024 / 1660 दिनांक 01.10.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा प्रस्तुत किया है। उक्त तहसीलदार नोखड़ा के पत्रांक / भू.अ. / 2024 / 1660 दिनांक 01.10.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार है:—

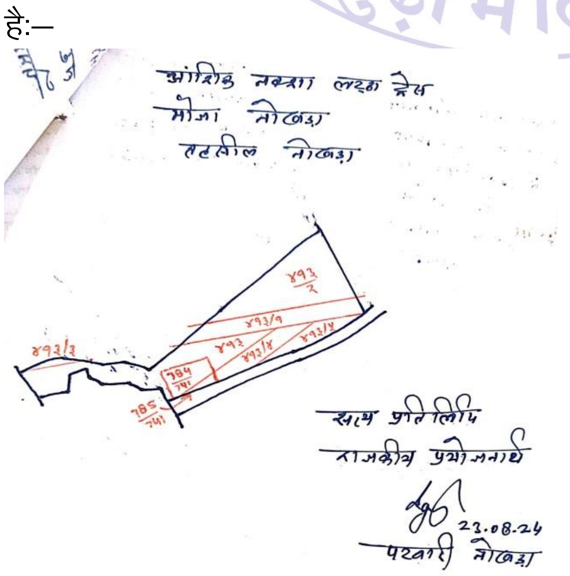

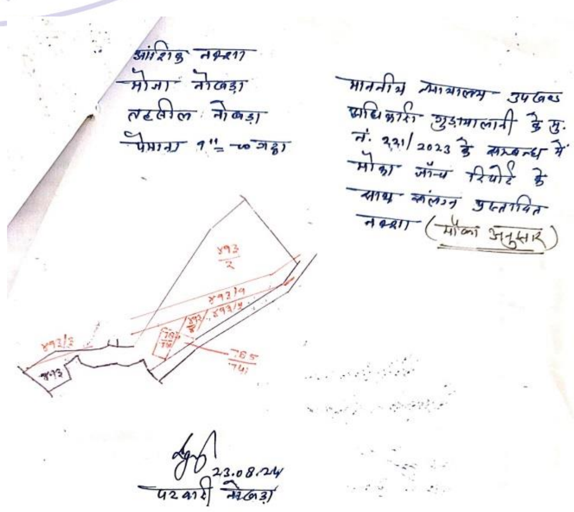

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.02.26 16:20:59 IST
Reason: SelfAttested

7. प्रकरण में तहसीलदार नोखड़ा के पत्रांक / भू.अ. / 2024 / 1660 दिनांक 01.10.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के प्रासांगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार हैः–

1. कि मूल आराजी खसरा संख्या 413 ग्राम नोखड़ा रकबा बरारी अनुसार ही राजस्व नक्शा में तितम्मा अंकित किया गया है।
2. कि खसरा संख्या 413 / 4 वाके ग्राम नोखड़ा रकबा बरारी अनुसार राजस्व नक्शे में तितम्मा अंकित न होकर रकबा 0.4047 है0 के बजाय रकबा 0.1052 है0 तितम्मा अंकित किया गया है।
3. कि खसरा संख्या 413 / 5 वाके ग्राम नोखड़ा रकबा बरारी अनुसार वर्तमान राजस्व नक्शा में न होकर रकबा 0.8175 है0 के बजाय 0.3690 है0 तितम्मा अंकित है। जबकि मौके पर उक्त खसरा का रकबा 0.4232 है0 है।
4. कि खसरा संख्या 413 / 4 वाके ग्राम नोखड़ा मौके पर चालू सड़क के अनुसार वर्तमान राजस्व नक्शा में तितम्मा अंकित नहीं किया गया है।
5. कि आराजी खसरा संख्या 413, 413 / 4, 413 / 5 की तरमीम दुरूस्ती मौका नक्शा (संलग्न नक्शा) अनुसार किया जाना उचित है।
6. कि मौका नक्शा अनुसार खसरा संख्या 413 रकबा 1.3759 है0 के बजाय 0.8755 है0, खसरा संख्या 413 / 2 रकबा 1.2302 है0 के बजाय 2.4244 है0, खसरा संख्या 413 / 4 रकबा 0.4047 के बजाय 0.1052 है0, खसरा संख्या 413 / 5 रकबा 0.8175 है0 के बजाय 0.4232 है0 संलग्न मौका नक्शा अनुसार किया जाना उचित है।
7. कि खसरा संख्या 413 रकबा 1.3759 है0 में माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट गुड़ामालानी के दीवानी वाद संख्या 23 / 2022 आदेश दिनांक 27.01.2023 द्वारा मौका व रिकॉर्ड का स्थगन है।

8. प्रकरण में तहसीलदार नोखड़ा के पत्रांक / भू.अ. / 2024 / 1660 दिनांक 01.10.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा तथा हाल राजस्व नक्शा के तुलनात्मक अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार नोखड़ा के पत्रांक / भू.अ. / 2024 / 1660 दिनांक 01.10.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा द्वारा प्रस्तावित तरमीम से सभी प्रार्थी सहमत हैं। इस प्रकार मुताबिक तहसीलदार नोखड़ा द्वारा पत्रांक / भू.अ. / 2024 / 1660 दिनांक 01.10.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 131, 136 के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नोखड़ा को निर्देश दिये जाते हैं कि पत्रांक/भू.अ./2024/1660 दिनांक 01.10.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.02.26 16:20:59 IST
Reason: SelfAttested

नक्शा अनुसार तरमीम दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा निर्णय का अनन्य भाग रहेगा।

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार गुडामालानी को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 16.01.2025 को लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.02.26 16:20:59 IST
Reason: SelfAttested